कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)
E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक– 97 /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/ दिनांक 8 /02/2017

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट (उत्तरकाशी)

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज–7 के अन्तर्गत खरादी से स्यालना, भन्साड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु (कुल लम्बाई 10 कि0मी0) हेतु 3.64 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन स्वीकृति का प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून का कार्यालय पत्रांक 589/112/(1) दिनांक 02.09.2016 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 1219/12–1 दिनांक 16.11.2016 एवं 1708/12–1 दिनांक 28.01.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दभित पत्रो एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की ई0डी0एस0 क्वेरी दिनांक 04.08.2016 के द्वारा विषयाकिंत प्रस्ताव में बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है–

आपत्ति	निराकरण
1. Short narrative (para-A.1(iii) of online Part-does not give any information about the project.	para-A.1(iii)में अपलोड कर परियोजना का संक्षिप्त विवरण लिख दिया गया है।
2. As per information provided at A.3 Part I online, the application in filed by Sumit Jaguri, JE wheread the authority to file the application uploaded at A.3 (xvii) is in ths name of Shri Anand Mohan Raizada. Authorization in favour of Shri Anand Mohan Raizada may be provided/uploaded.	इस कार्यालय के पत्रांक 966/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/दिनांक 20.11.2013 द्वारा वनभूमि प्रस्तावों का अपलोड करने हेतु सुमित जगूडी कनिष्ठ अभियन्ता को नामित किया गया है। (प्रपत्र यथास्थान अपलोड कर दिया गया है, संलग्नक–1)
3. In the village wise breakup uploaded online at B 2-3 names of 2 villages are mentioned but village wise breakup of the area is not provided.	Part-I में ऑनलाइन यथास्थान संशोधन कर दिया गया है।
4. KML file of the proposed road uploaded online at para-C(ii) of part-I Shows presence of private land adjoining to the forest from where the road starts. Keeping in view the involvement of 3.290 ha of Reserve Forest land and 528 trees on forest land, the State Gove. May explore possibility of exploring alternate alignment or the first few KM of the proposed alignment to reduce the extent RF land and number of trees.	तकनिकी एवं पर्यावरण की दृष्टि से चयनित मार्ग के समरेखण में न्यूनतम 528 वृक्ष आरक्षित वन भूमि एवं 8 वृक्ष नाप भूमि कुल 536 वृक्ष बाधित हो रहे हैं, जो न्यूनतम हैं। आरक्षित वन भूमि 3.290 हे0 एवं सिवील सोयम 0.350 हे0 भूमि कुल वन भूमि 3.640 हे0 को 7 मी0 चौ0 में अध्यारोपित किया गया है ताकि न्यूनतम वनभूमि प्रभावित हो सके। यह मोटर मार्ग ग्राम स्यालना, भंसाड़ी को संयोजित करेगा, जिनकी जनसंख्या 1178 है अतः अध्यारोपित की जाने वाली वन भूमि जनहित में न्याय संगत है । अन्य कोई भी वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नही है, चूकि वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा 10 कि0मी0 की पैदल दूरी तय करनी पड़ रही है अतः जनहित में प्रस्ताव स्वीकृत किया जाना अति आवश्यक है।
5. In the geo referenced digital map of the area proposed for diverdion uploaded at C (iv) Part-I online the geo coordinates have been shown at very few points. Also the map in on google earth image	डिजिटल मैप को संशोधित कर अधिकतम स्थानों एवं बैण्ड़ों पर निर्देशक अंकित कर दिये गये है। जिसका KML file यथास्थान अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक–2)

	which does not serve any useful purpose. May provide/upload scanned copy o GIS software generated geo referenced digital map showing geo coordinates at 200 to 300 minterval along the slignment of the proposed road including all turning points.	
6.	Copy of the map of alternates of proposed D(ii) a of online Part-I is not found attached.	Part-I में ऑनलाइन यथास्थान अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक–3)
7.	Employment likely to be generated not mentioned in pare-E of online Part-I.	Part-I में ऑनलाइन यथास्थान अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक–4)
8.	FRA certificate uploaded at para-K Part-I online is undated and the proceedings of the meeting of Sub-Divisional Level Committee and meetings of the Gram Sabhas of the 2 villages invole in this proposal is not provided.	वनाधिकार अधिनियम–2006 के सभी प्रपत्र Part-I में यथास्थान अपलोड कर दियें गये है। (संलग्नक–5)
9.	Administrative Approval and Financial Sanction for construction of this rad uploaded as additional document in Part-I is issued in the year 2005-06 may clarify whether it has been revalidated for the yeat 2016-17	मोटर मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 2005–06 में सर्वेक्षण, डी0पी0आर0 गठन आदि कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हैं। (प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक–6)
10.	At online Part-I para-L (iv) (b), the area of this patch of CA is shown as 6.076 ha whereas in the Ownership proof uploaded at L (iv)(f) Part-I only 3.64 ha Civil Land in Syalna village has been mentioned to be earmarked for CA. Fuitability certificate for CA area (village pali) o some other road named Pujar Gaon to Pali M/R has been uploaded.	Part-I में ऑनलाइन यथास्थान संशोधित एवं सही प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक–7)
11.	In the details of CA area for patch 2 uploaded at para-L (iv) area of forst land proposed for CA is not mentioned correctly. Further, in the MOU at L(iv) (g) Part-I, suitability certificate for CA area (village Pali) of some other road named Pujar Gaon to Pali M/R has been uploaded, In addition, in the non-encumbrance certificate at L (iv) (h) Part-I online, certificate of minimum use of forest land has been uploaded.	Part-I में ऑनलाइन यथास्थान संशोधित एवं सही प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक–8)
12.	The digital map of area proposed or CA at para-L (v) of Part-I online is provided on google earth map which does not sever any useful purpose May provide/upload GIS software generated geo referenced fdigital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का डिजिटल मैप में सभी कोनो (कार्नर) में निर्देशांक अंकित कर दिये गये है। (संलग्नक–9)

13. As per Decision Support System (DSS) Analysis in KML file of area proposed for CA uploaded in Part I online the extent of area is 6.62 ha for patch-1 instead of 6.076 ha and 1.74 ha for patch-2 instead of 1.204 ha area proposed or CA. Further, 2 ha area of patch-1 and ha 1 ha area of patch-2 is on Moderately dense Forest (MDF). State govt. may upload KML file again showing the correct extent of area proposed for CA after excluding the MDF area. Revised digital map may also be uploade/provided accordingly showing coordinates for correct extent of area proposed for CA.	चयनित वृक्षारोपण स्थल सिविल सोयम भूमि स्यालना है जिसका संशोधित KML file यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
14. In the Ca scheme uploade as additional II online the CA area is mentioned as Bhansadi Soyam whereas at pare-13 (i) Part-II and in other documents of CA like Ownership proof, non-encumbrance certificate etc. the area is shown as Syalana Soyam.	चयनित वृक्षारोपण स्थल सिविल सोयम भूमि स्यालना है जिसके सभी प्रपत्र ऑनलाइन यथास्थान अपलोड कर दिये गये है। (संलग्नक–10)
15. As per muck disposal plan attached as additional document online Part-I the muck is proposed to be disposed at 5 muck dumping points on forest/Civil land. However, this requirement of forest/Civil land for muck dumping has not been included in the forest land proposed for diverdion as the component wise breakup at para-B 2.4 of online Part-I shows the whole 3.64 ha forest land for foad construction. In addition, MOC of few villagers for dumping muck on their private land are also provided/uploaded which is not understood.	मलवा निस्तारण नाप भूमि में किया जायेगा, जिस हेतु कास्तकारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन Additional document में अपलोड कर दिया गया है।
16. No titles given to additional documents uploaded at sr.no.1 to 15 Part-I online which may be done now.	additional documents नाम सहित अपलोड कर दिये गये है।
17. In the additional documents at sr. no. 5 uploaded in Part-I the density is mentioned as 0.4 whereas in para-4 (ii) of Part-II online the density is mentioned as 0.5 may indicate correct density and revise NPV bill also if required.	Part-II में संशोधित कार्यवाही हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के स्तर से की जानी है। वनभूमि प्रस्ताव के घनत्व प्रमाण पत्र में घनत्व 0.4 अंकित है।
18. In District Profile fiven in Part II the data given about CA stipulated is not commensurate with the forest land diverted since against 135.1275 ha land diverted 224.62 ha CA have been shown stipulated. This may be reviewed.	Part-II में संशोधन की कार्यवाही हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के स्तर से की जानी है।
19. At para-15 of online Part-II, the date of visit is mentioned as 01.12.2015 whereas in the Site Inspection eport the date of inspection is mentioned as 29.06.2013.	Part-II में संशोधन की कार्यवाही हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के स्तर से की जानी है।

20. Instead of recommendation of Sate Nodal officer in Part-IV of performa, copy of letter forwarding the proposal to State Govt. has been uploaded. May upload Part-IV of performa.	सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण नोडल अधिकारी एव उच्च स्तर से किया जाना है।
21. Part III, IV & V of hard copy is not provided duly filled and singned by the concerned officers.	सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण नोडल अधिकारी एव उच्च स्तर से किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार इंगित बिंदुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है एवं Part-II की कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है साथ ही जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक–2085/11–9(2014–15), दिनांक 23.03.2015 की आदेश की प्रति में इंगित शासनादेश सं0 397/XVIII (II)/2012 दिनांक 29.02.2012 आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न (संलग्नक – 11) है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/पुरोला /तदिनांक
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0 पुरोला।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला
Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक– 966 /पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/ दिनांक 21/11/2015

कार्यालय ज्ञाप

इस खण्ड में कार्यरत श्री सुमित जगूडी, कनिष्ठ अभियन्ता, को इस खण्ड से सम्बन्धित वनभूमि प्रस्ताव अपलोड/सम्बन्धित प्रत्यावर्तन ऑन लाईन किये जाने का दायित्व सौंपा जाता है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिंचाई खण्ड
पुरोला

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/पुरोला/तदिनांक

प्रतिलिपि– श्री सुमित जगूडी, कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिंचाई खण्ड
पुरोला

डिजिटल मानचित्र – जनपद उत्तरकाशी के अर्न्तगत प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज – 7 के अर्न्तगत स्यालना भन्साड़ी मोटर मार्ग का नव निमार्ण

(लम्बाई 10.53 किमी0)

0 0.5 1 1.5 2 Km

N W E S

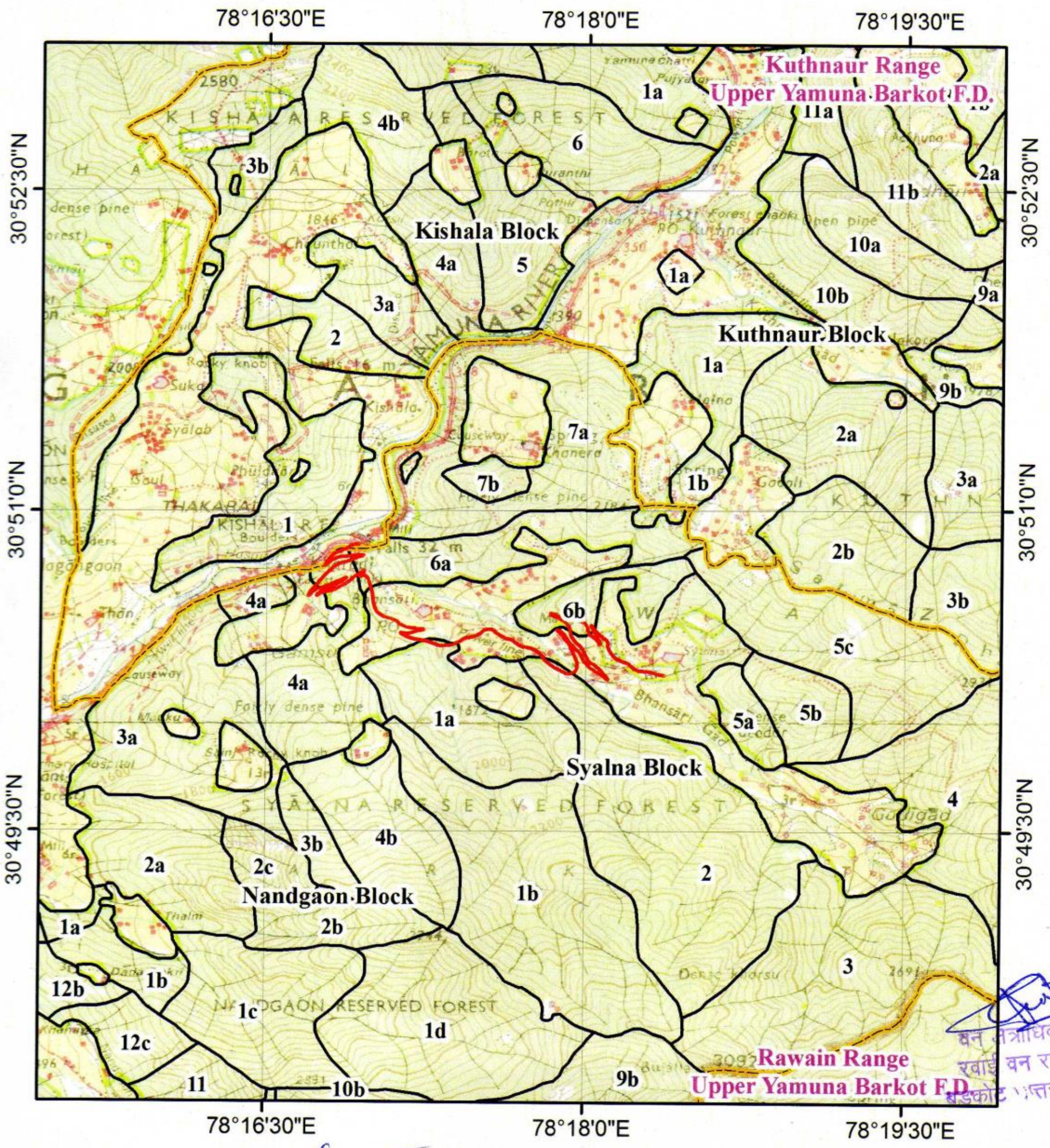

Legend

- Proposed Road
- Forest Range Boundary
- Reserve Forest Boundary

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
बड़कोट उत्तरकाशी

उप यमुना वन प्रभाग

तहसीलदार

उप जिला अधिकारी

डिजिटल मानचित्र – जनपद उत्तरका ी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना फे – 7 के अन्तर्गत स्यालना भन्साड़ी मोटर मार्ग का नव निमार्ण (लम्बाई 10.53 किमी0)

N

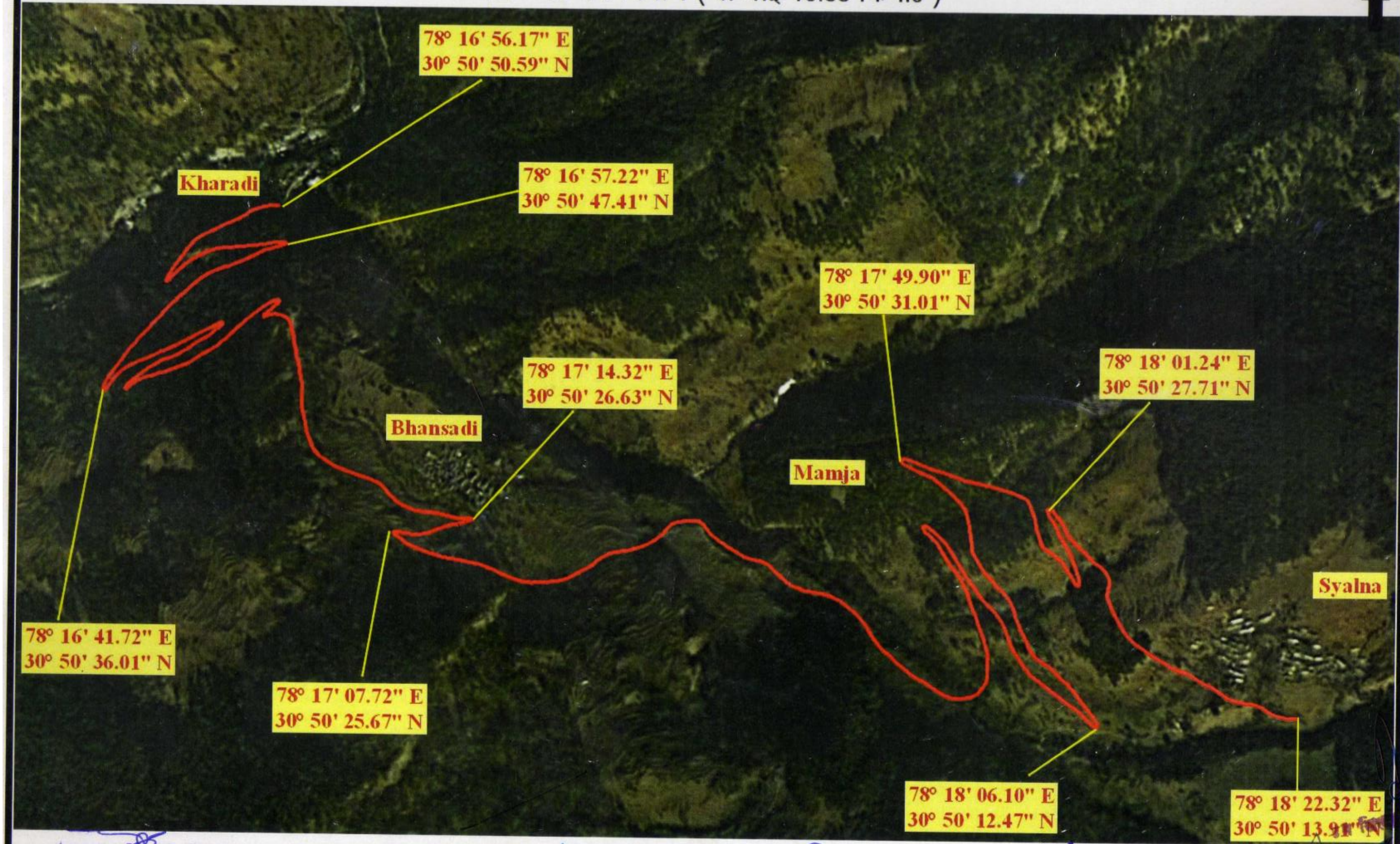

Legend
Proposed Road

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

वन क्षेत्राधिकारी
तहसीलदार
राजगढ़ी, बड़कोट
बड़कोट उत्तरकाशी

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमााण– पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्यालना - गन्साड़ी मोटर मार्ग में प्रयुक्त होने वाली भूमि के निर्माण हेतु अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया। किन्तु अन्य विकल्पों पर अधिक भूमि तथा अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जिसके कारण प्रस्तावित समरेखण ही स्वीकृत किया गया हैं। इस समरेखन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है।

J.E.

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

रा० नि०
बड़कोट

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

5-10

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ--226024
टेलीफैक्स--2323980

दिनाँक: 04.05.2010

पत्र सं0 8बी / यू.सी.पी / 06 / 127 / 2010 / एफ.सी. / 133

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज--6 के अन्तर्गत स्यालन से भन्साड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.68 है0 वन भूमि की गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक 3290 / 1जी- 300 (उ0का0) दिनाँक 03 / 04 / 2010 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृति माँगी गयी है ।

उपरोक्त प्रस्ताव के निरीक्षण के पश्चात् मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तावित मार्ग का अधिकांश भाग आरक्षित भूमि में है और वानस्तिक घनत्व 0.5 है एवं प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में 1666 वृक्षों का पातन हो रहा है, जो अधिक है; अतः प्रस्ताव को मेरिट के आधार पर निरस्त किया जाता है।

भवदीय,
4/5/10
(शैलजा सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु --

1. अति. वन महानिदेशक(एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली--110003.
2. प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।
5. आदेश पत्रावली

(शैलजा सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

38
39
37

स्यालना अन्तर्गत मोटर मार्ग

<u>क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण– पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि ...स्यालना.........सोयम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया क्षेत्र वन प्रबन्ध की दृष्टि से उपयुक्त है।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0
उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

(42)
(50)
(52)

<u>न्यूनतम सोयम वन भूमि का प्रमाण–पत्र (जिलाधिकारी द्वारा)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि स्यालना – भन्साड़ी मोटर मार्ग के निर्माण — – — में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

रा० नि०
बड़कोट

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

16/9/19
तहसीलदार
(राजगढ़ी) बड़कोट
उत्तरकाशी

उप जिलाधिकारी
बड़कोट
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०)
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

परियोजना का नामः– स्यालना से भन्साडी मोटर मार्ग।

न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **यालना से भन्साडी** मोटर मार्ग निर्माण के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि में कार्यो हेतु **3.640** हे० वन भूमि प्रयोग की जायेगी। यह न्यूनतम है। इसके कम भूमि में कार्य करना सम्भव नही है।

1. वन भूमि का प्रीमियम जो शासन द्वारा निर्धारित होगा याचक विभाग द्वारा वन विभाग को भुगतान किया जायेगा।
2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो शर्ते निर्धारित की जायेगी यह याचक विभाग को मान्य होगी।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो.नि.वि
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड़ लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

11

संख्या–397/XVIII(II)/2012

प्रेषक,

पी.सी.शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 आयुक्त,
गढवाल एवं कुमाऊ मण्डल।
3 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व विभाग　　　　　　　　　　　　　　　देहरादून, दिनांक 29 फरवरी, 2012

विषय :– वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए 20,000 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित कि ये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2882/XVIII(II)/11–18(120)2010, दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 में यह उल्लेख किया गया है कि "वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में अब उतनी ही भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि, योजनाओं के लिए प्राप्त की जाएगी। भूमि हस्तांतरण की आवश्यकता जिस प्रकार होगी, उसी के अनुरूप समय–समय पर वन विभाग को भूमि हस्तांतरित की जाएगी"। शासन स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद कई मामलों में सैद्वान्तिक तथा अंतिम स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त कई योजनाओं के वन भूमि हस्तांतरण इस बीच भारत सरकार को भेजे जा चुके है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त अथवा उसे भेजे गये इन प्रस्तावों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसी यो जनाओं की अनुमानित संख्या 140 है जिनमें एन.पी.वी. आदि भी जमा की जा चुकी है। अब यदि इन प्रस्तावों में कोई परिवर्तन होता है तो उससे इन योजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण में अनावश्यक विलम्ब होगा।

अतः ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्वान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमें दोगुनी

अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण [illegible]

किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके।

वर्तमान में तैयार की जा रही योजनाओं में गैर जमीदारी विनाश भूमि में से गैर वन भूमि में यदि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित है तो उसके लिए समतुल्य भूमि ही प्रस्तावित की जाएगी।

उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के अनुरूप कृपया क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए धनराशि तत्काल उपलब्ध कराते हुए ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रस्ताव वन विभाग को समयबद्व आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी.सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृ०प०सं०– 397 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तांतरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव